न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10 / 2022	02 / 05 / 2022	19 / 12 / 2025

औंकारलाल पुत्र श्री सुरज्या जाति मीना निवासी नलावता तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रार्थी

बनाम

1 मांगी बाई पुत्री सुरज्या जाति मीना निवासी नलावता
2 कान्ता बाई पुत्री देवा जाति मीना निवासी नलावता
3 चन्द्रप्रकाश पुत्र देवा जाति मीना निवासी नलावता
4 तोलाराम पुत्र देवा जाति मीना निवासी नलावता
5 नर्मदा बाई पत्नि देवा जाति मीना निवासी नलावता
6 प्रकाश बाई पुत्री देवा जाति मीना निवासी नलावता
7 महावीर पुत्र देवा जाति मीना निवासी नलावता
8 सुमित्रा पुत्री देवा जाति मीना निवासी नलावता
9 हरिराम पुत्र देवा जाति मीना निवासी नलावता तह० पीपल्दा जिला कोटा
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री विकास पारेता एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 R-T-Act

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नलावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 की खाता संख्या नई 61 में खसरा नम्बर 148 रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा, खसरा संख्या 149 रकबा 10 बीघा 14 बीस्वा, खसरा संख्या 244 रकबा 4 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 274 रकबा 8 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 275 रकबा 10 बीघा 8 बीस्वा, खसरा संख्या 446 रकबा 9 बीस्वा, खसरा संख्या 447 रकबा 2 बीघा 14 बीस्वा, खसरा संख्या 448 रकबा 4 बीघा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 449 रकबा 4 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 451 रकबा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 453 रकबा 5 बीस्वा, खसरा संख्या 454 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या 458 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 459 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या 512 रकबा 9 बीघा 16 बीस्वा, खसरा संख्या 513 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 514 रकबा 11 बीघा 14 बीस्वा, खसरा संख्या 276 रकबा 9 बीघा, खसरा संख्या 557 रकबा 5 बीस्वा, कुल किता 19 कुल रकबा 91 बीधा 10 बीस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 के पिता सुरज्या व अप्रार्थी क्रम 2 ता 9 के पिता देवा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी सम्बोधित किया गया है। ग्राम नलावता पटवार हल्का विनायका भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या नई 4 पुरानी 5 मे खसरा संख्या 492 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा संख्या 556 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या 557 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 558 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा संख्या 559 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 560 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 562 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा संख्या 563 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा संख्या 564 रकबा 0.82 हैक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 4.73 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जो प्रार्थी व प्रार्थी क्रम 01 को उनके पिता सुरज्या से विरासत मे प्राप्त हुई है। इसी

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

प्रकार खाता संख्या नई 5 पुरानी 6 मे खसरा संख्या 691 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 692 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा संख्या 693 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 694 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा संख्या 724 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 725 रकबा 0.25 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जो कि जो प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 को उनके पिता सुरज्या से विरासत में प्राप्त हुई है तथा अप्रार्थीगण 02 ता 09 को उनके पिता देवा से विरासत में प्राप्त हुई है। इसी प्रकार खाता संख्या नई 63 पुरानी 63 मे खसरा संख्या 274 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 275 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 276 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा संख्या 277 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 278 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 561 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 565 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा संख्या 566 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 567 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 568 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 0.72 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल रकबा 3.03 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी क्रम 02 ता 09 की खातेदारी में दर्ज है जो कि उनके पिता देवा से अप्रार्थीगण 02 ता 09 को विरासत में प्राप्त हुई है। इसी प्रकार खाता संख्या नई 64 पुरानी 64 में खसरा संख्या 688 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा संख्या 689 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 690 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा संख्या 90 रकबा 1.21 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी क्रम 02 ता 09 की खातेदारी मे दर्ज है जो कि उनके पिता देवा से अप्रार्थीगण 02 ता 09 को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 के पिता सुरज्या व अप्रार्थी क्रम 2 ता 9 के पिता देवा की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज थी। लेकिन सेटलमेंट विभाग द्वारा विवादित आराजी के नये नम्बर पैमुद करते हुये उक्त भूमि का विभाजन अपनी मर्जी से कर दिया तथा प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 के पिता सुरज्या की खातेदारी में कम भूमि दर्ज कर दी गई व अप्रार्थी क्रम 2 ता 09 के पिता देवा के हिस्से में अधिक भूमि दर्ज कर दी गई जिसका कि सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था जबकी प्रार्थी व अप्रार्थीगण क्रम 2 ता 9 अपने–अपने 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। इसलिये प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई उक्त त्रुटि को माननीय न्यायालय की सहायता से दुरूस्त करवाकर अपने निहित 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाकर कृर्षि आराजी का विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाकर नक्शे लठठे मे तरमीम करवायें। पक्षकरान अनुसुचित जन जाति (मीणा) के सदस्यगण है। जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में प्रावधान लागू नहीं होते है। तथा पक्षकारान् पुरानी शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है, जिसके अधीन पिता की सम्पत्ति मे पुत्री को किसी भी प्रकार के कोई हित प्राप्त नहीं होते है। प्रश्नगत् प्रकरण मे राजस्व प्राधिकारीगण द्वारा स्वर्गीय सुरज्या का नामान्तकरण दर्ज करते हुये प्रार्थी के साथ मांगी बाई पुत्री सुरज्या का नाम भी अनुचित रूप से दर्ज कर दिया गया जो अनियिमित अवैध है। जिसे उक्त राजस्व रिकार्ड से हटवाया जाने का पूर्ण अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से कई मर्तबा निवेदन किया कि वे सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवाकर कब्जे के अनुसार अच्छी में से अच्छी बुरी मे से बुरी भूमि का विभाजन करवायें। अप्रार्थीगण प्रार्थी को आश्वासन देते रहे और टालमटोल करते रहे। प्रार्थी ने कई बार निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा उक्त कृर्षि आराजी को खुर्द –बुर्द रहन, बैचान करने की धमकी देने लगें इसलिये प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करें। विवादित आराजी मे प्रार्थी अपने निहित हिस्से पर काबिजी कृषक है किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 ता 9 विवादित आराजी में प्रार्थी के हिस्से पर जबरन

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

ताकत के बल पर कब्जा करने व अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने, बैचान, दान, वसीयत करने पर आमादा है तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 9 आये दिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि मे उसके शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते रहते है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 ने इसी आशय से दिनांक 01.04.2022 को प्रार्थी को बैदखल करने व विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन बैचान करने की धमकी दी है इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 ता 9 को अस्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया साबित है क्योकि व विवादित आराजी मे 1/2 हिस्से की भूमि की घोषणा करवाकर विभाजन प्राप्त कराने का अधिकारी है। तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, क्योकि वह उक्त आराजी मे अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज है और यदि अप्रार्थी क्रम 1 ता 9 द्वारा उक्त विवादित आराजी की भूमि को अन्यत्र जगह हस्तान्तरित खुर्द–बुर्द कर दिया गया या भूमि से प्रार्थी को बैदखल कर कब्जा कर लिया गया तो प्राथी को अपुर्णिय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मुल्याकंन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नलावता पटवार हल्का विनायका भू:अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की कृर्षि आराजी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मे प्रार्थी के निहित हिस्से 1/2 में अप्रार्थी क्रम 1 ता 9 को अस्थायी निषेद्याज्ञा से निषेधित किया जावें कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग एंव उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियो से करावें। तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी को रहन, दान, बेचान, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री इन्द्रजीत मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 2 ता 9 की ओर से श्री विकास पारेता एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 2 ता 9 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 2 ता 9 के पृथक खातेदारी की भूमियो की चुनौती दी है जबकि पुरानी व नयी जमाबन्दियो का मिलान नही किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर विभाजन का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि विभाजन तो पूर्व से ही किया जाकर पृथक जमाबन्दी पृथक लगान कायामी है यदि पुराने रिकोर्ड से 1/2, 1/2 की घोषणा प्रार्थी करवाना चाहता है तो नये रिकोर्ड को निरस्त करने की प्रार्थना नही मांगी गई है कौन किस भूमि पर काबिज है प्रार्थी को कितनी कमी रकबा है प्रार्थी किस भूमि पर काबिज है जिसका बंटवारा चाहता है जबकि बंटवारा पूर्व मे होकर पृथक पृथक राजस्व रिकोर्ड दर्ज है रिकोर्ड को दुरूस्त करवाने का प्रार्थना पत्र नही होकर विभाजन का प्रार्थना पत्र है जो पूर्व से ही विभाजित सम्पति है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की स्वतन्त्र पृथक भूमियो पर विभाजन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हे जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के पिता सूरज्या, देवा के अतिरिक्त एक अन्य भाई कजोड वल्द काना भी था जमाबन्दी सम्वत 2015–2024 के अनुसार 1/2 हिस्सा कजोड वल्द काना हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकोर्ड है कजोड द्वारा संवत 2020 मे एक इकरारनामा वसीयत गवाहो के सामने निष्पादित किया गया कि मेरे कोई पुत्र पुत्री नही है मेरी सेवा सुश्रुसा देवा उर्फ देवलाल पुत्र भैरूलाल (अप्रार्थी कम 2 ता 9 के पिता देवा) द्वारा की जा रही है इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी जमीन जायदाद का मालिक देवलाल ही होगा जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जमाबन्दी संवत 2029–32 मे कजोड के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से को अप्रार्थी कम 2 ता 9 की खातेदारी मे दर्ज नही किया गया जबकि अप्रार्थी कम 2 ता 9 उक्त इकरारनामा वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी जो प्रार्थना पत्र की मद न. 02 में वर्णित है मे कजोड का 1/2 हिस्सा व स्वंय का 1/2 में से 1/2 अर्थात सम्पूर्ण आराजी मे 3/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा तथ्यो को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है सूरज्या, देवा के पिता भैरूलाल व कजोड सगे भाई है

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

जिनका उक्त आराजी मे 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। सीधे ही सेटलमेन्ट की त्रुटि बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, कजोड के 1/2 हिस्से व उसकी वसीयत का वर्णन नही किया है अप्रार्थी कम 2 ता 9 उक्त वसीयत के आधार पर कजोड के 1/2 हिस्से को अलग से प्राप्त करने के अधिकारी है। वर्तमान रिकोर्ड के खाता संख्या 4 मे खसरा न. 492 रकबा 1.60 है० भूमि पुराने रिकोर्ड मे अप्रार्थी कम 2 ता 9 के खाते की भी भूमि है जो वर्तमान मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 के नाम दर्ज है उसके पुराने नम्बर संख्या 2041–60 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा न. 148, 149 बाद सेटलमेन्ट 492 संवत 2029–32 मे सूरज्या व देवा के 1/2–1/2 दर्ज है इस भूमि मे अप्रार्थी कम 2 ता 9 का 1/2 हिस्सा प्राप्त करने व प्रार्थी का नाम 1/2 हिस्से तक हटाया जाकर अप्रार्थी कम 2 ता 9 का हिस्सा 1/2 दर्ज करवाने के अधिकारी है इसी प्रकार मिलान क्षेत्रफल 2041–60 खाता संख्या 5 से खसरा न. 276 के 41 मि. नम्बर 565, 566, 567, 568, सम्वत 2015–24 के खसरा न. 448, 449, 451, 453, 458, 459 के वर्तमान न. 90 मे भी कजोड का 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसे भी अप्रार्थी कम 2 ता 9 प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी 1 व अप्रार्थी 1 तथा अप्रार्थी 2 ता 9 के पिता परस्पर भाई जिनका नाम सूरज्या और देवा था। जमाबन्दी संवत 2029–2032 में ख0नं0 खाता संख्या नई 61 में खसरा नम्बर 148 रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा, खसरा संख्या 149 रकबा 10 बीघा 14 बीस्वा, खसरा संख्या 244 रकबा 4 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 274 रकबा 8 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 275 रकबा 10 बीघा 8 बीस्वा, खसरा संख्या 446 रकबा 9 बीस्वा, खसरा संख्या 447 रकबा 2 बीघा 14 बीस्वा, खसरा संख्या 448 रकबा 4 बीघा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 449 रकबा 4 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 451 रकबा 12 बीस्वा, खसरा संख्या 453 रकबा 5 बीस्वा, खसरा संख्या 454 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या 458 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 459 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या 512 रकबा 9 बीघा 16 बीस्वा, खसरा संख्या 513 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 514 रकबा 11 बीघा 14 बीस्वा, खसरा संख्या 276 रकबा 9 बीघा, खसरा संख्या 557 रकबा 5 बीस्वा, कुल किता 19 कुल रकबा 91 बीधा 10 बीस्वा सूरज्या तथा देवा की खातेदारी में दर्ज थी। सेटलमेंट विभाग द्वारा अपनी मर्जी से मनमाना विभाजन कर दिया गया तथा प्रार्थी व अप्रार्थी 1 के पिता सूरज्या को खातेदारी में कय भूमि दर्ज की तथा अप्रार्थी 2 ता 9 के पिता देवा के हिस्से में अधिक दर्ज की जबकि दोनो 1/2–1/2 के हिस्सेदार थे। यह त्रूटि सेटलमेंट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की है। इस विभाजन में वादी को 40 बीघा तथा प्रतिवादी को 48 बीघा दी गई। साथ ही कथन किया कि कजोड वल्द काना द्वारा कोई इकरारनामा नहीं किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा फर्जी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी ने दौराने वाद भूमि का अन्तरण किया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। विवादित भूमि पर व अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया कि वर्तमान में 34 बीघा भूमि अप्रार्थी के कब्जे में है। विवादित भूमि में से कुछ भूमि ऐबरा डेम में अवाप्त की जा चुकी है। अप्रार्थी के 1/2 हिस्से के साथ कजोड वल्द कान्हा द्वारा जरिए इकरारनामा स्वयं का हिस्सा भी खाते में दर्ज होने के कारण भूमि प्रार्थी से अधिक है। उक्त विवादित भूमि का बंटवारा पूर्व में ही सहमतिपूर्वक तथा राजीनामे से हो चुका है यह सेटलमेंट की त्रुटि नहीं है। अप्रार्थी को भूमि अवाप्ति की राशि घोषित हो चुकी है। इसे रोकने के उद्देश्य से वाद और प्रार्थना पत्र लाया गया है। अप्रार्थी को इससे क्षति हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष बहस पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में विद्यमान दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेख में

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी तथा अप्रार्थी के पिता बतौर खातेदार अंकित किये गये है इससे प्रथम दृष्टया मामला तो सुदृढ रूप से बनता है क्योंकि संवत 2015–2024 तथा 2029–2032 तथा वर्तमान जमाबंदिया के अवलोकन से यह अंकन परिलक्षित होता है। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड सेटलमेंट की त्रुटि के कारण अस्तित्व में आया या सहमतिपूर्ण विभाजन से यह बिन्दु बाद में तनकी विरचित कर उभयपक्ष के साक्ष्य लेखबद्ध कर निर्णीत किया जाना है। प्रार्थना पत्र की पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया मामला चलने योग्य है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान खसरा नम्बरान का निर्माण व प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के खसरा नम्बरान से हुआ है। अतः मामला प्रथम दृष्टया बनता है जिसका विचारण उपरान्त निर्णयन किया जाना है। ऐसे में विचारण के दौरान उभयपक्ष में से किसी भी पक्ष द्वारा सम्पत्ति का अंतरण से न केवल मूलवाद में जटिलता कारित होगी बल्कि अनावश्य विलम्ब भी होगा। प्रार्थी द्वारा कथित सेटलमेंट त्रुटि तथा अप्रार्थी द्वारा कथित सहमतिपूर्ण बंटवारे दोनों ही संभावनाओं में केवल गणितीय योग किया जाये तो वर्तमान में देवा के वारिसान के पास 6.82है0, सूरजया के वारिसान के नाम 4.43है0, तथा दोनों के वारिसान के शामिलात में 2.66है0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस 2.66है0 में मुताविख रिकॉर्ड 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रथम दृष्टया फौरी तौर पर, सूरज्या के वारिसान के खाते 4.73+1.33 = 6.06है0 तथा देवा के वारिसान के पास 6.82+1.33 =8.15है0 खाते दर्ज होने से प्रार्थी के पक्ष में कम और अप्रार्थी के खाते अधिक भूमि होने के कारण भी प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में है। कजोड द्वारा इकरारनामा से किया गया अंतरण साक्ष्य का विषय होने के कारण इस चरण में विचारणीय नहीं है। इसी प्रकार अप्रार्थी द्वारा 1/2 हिस्से में से 1/ अर्थात कुल भूमि के 1/4 हिस्से व कजोड द्वारा जरिए इकरारनामा दिये गये 1/2 हिस्से अर्थात 1/4+1/2= 3/4 हिस्से पर दावा किया गया है जबकि वर्तमान राजस्व अभिलेख में उनके खाते इससे कम भूमि दर्ज हो उल्लेखित है। अतः मामला आंशिक रूप से अप्रार्थी के भी पक्ष में है। हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उभयपक्ष दौराने वाद यदि सम्पत्ति का खुर्द–बुर्द, दान, वसीयत या अन्य प्रकार से अन्तरण किया जाता है तो उभयपक्ष को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। उक्त भूमि में से मूल्यवान भूमि का बेचान भी किया जा सकता है जिससे हुई क्षति की क्षतिपूर्ति मुद्रा या आर्थिक रूप से किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थना पत्र में डेम निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति का उल्लेख है परन्तु कौनसे खसरे कितना रकबा अवाप्त किया गया इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं है इसलिए इस संबंध में विषय विचारणीय इस चरण में नहीं है। साक्ष्य के दौरान इस पर विचार किया जा सकेगा यदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते है तथा न्यायहित में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से उभयपक्ष को असुविधा का सामना करना पड सकता है क्योंकि संपत्ति के अंतरण उपरान्त अंतरिकी को पक्षकार बनाना पडेगा, मूल्यवान भूमि पर कब्जा अंतरण अंतिम निर्णय उपरांत रिस्टोर करवाना, बैंक में रहन से दायित्वों का सृजन तथा निर्णय उपरांत उनका पुनः निर्धारण इत्यादि। इस प्रकार सुविधा संतुलन का बिंदु भी आंशिक रूप से प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों के पक्ष्ज्ञ में होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु मामला उपयुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करने योग्य है। इसलिए आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र में वर्णित खाता संख्या नई 4 पुरानी 5 मे खसरा संख्या 492 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा संख्या 556 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या 557 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 558 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा संख्या 559 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 560 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 562 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा संख्या 563 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा संख्या 564 रकबा 0.82 हैक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

4.73 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नई 5 पुरानी 6 मे खसरा संख्या 691 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 692 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा संख्या 693 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 694 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा संख्या 724 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 725 रकबा 0.25 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर, पर प्रार्थी तथा अप्रार्थी रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे तथा किसी भी प्रकार से विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे। रहन, दान, वसीयत इत्यादि नहीं करे। एक दूसरे के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करें न ही किसी प्रतिनिधि से कराये। न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रभावी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा